न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—204/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/204)

1. बजरंग पुत्र जयराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम देवलिया खुर्द, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मानीदेवी पत्नी धन्ना, जाति बैरवा, निवासी भील कॉलोनी, सुनरिया, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
2. हीरा पत्नी गोगा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 2021/431

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—25.01.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 431/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया एवं साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

25.1.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया। जिस पर दिनांक 18.2.2021 को प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंटस को आगामी पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। तत्पश्चात पत्रावली में विपक्षीगण के नाम नोटिस जारी किए गए एवं जवाब हेतु पत्रावली नियम होती रही एवं दिनांक 4.2.2022 एवं 10.2.2022 को पत्रावली शेष पक्षकारों के जवाब लिए बगैर पत्रावली में अंतिम रूप से बहस सुनकर पत्रावली को रिजर्व कर लिया गया एवं दिनांक 18.3.2022 को अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 431/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी के आदेश की पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी द्वारा अपने प्रकरण की जानकारी करने हेतु अपने अभिभाषक को तारीख हेतु दूरभाष पर बात की तब प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा यह अवगत कराया गया कि आपके प्रकरण में फैसला हो गया है। इसलिए अब कोई तारीख पेशी नहीं पडेगी तब प्रार्थी द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु अभिभाषक को कहा गया जिस पर प्रार्थी के अभिभाषक ने दिनांक 1.7.2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते नकल हेतु प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 11.7.2022 को उपरोक्त निर्णय की प्रति प्राप्त हुई तत्पश्चात फीस आदि का प्रबंध कर दिनांक 16.7.2022 को अजमेर आया एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त किया जिन्होंने अविलम्ब उक्त अपील तैयार करवाई एवं बिना किसी देरी के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुती में हुई देरी में प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी मुतनाजा के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति द्वारा अपीलांट को पंचों के समक्ष गोद लिया गया था ऐसी स्थिति में गोदनामे के आधार पर अपीलांट टेस्टामेन्ट्री सक्सेशन के आधार पर आधे हिस्से का वारिस होने से उपरोक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं उपरोक्त खातेदारी अधिकार सक्षम वाद में तय होने हैं लेकिन उपरोक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को छूट प्रदान कर दी जाती है तो विवादित आराजी मुतनाजा को विपक्षीगण खुर्द-बुर्द कर बेचान कर देंगे। ऐसी स्थिति में रेग्यूलर वाद के विचाराधीन रहते सूट लैण्ड को प्रोटेक्ट किया जाना न्यायिक दृष्टि से अनिवार्य है इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विपक्षीगण को खुली छूट प्रदान करने में अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बिंदुओं को देखा जाना अनिवार्य है एवं तीनों बिंदुओं पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाकर ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सकता है। इसके बावजूद भी बिना प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु का कोई निर्णय किए बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी मुतनाजा पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में सक्षम वाद के विचाराधीन रहते यदि विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र हस्तांतरण, रहन, बय, मुंतकिल कर दिया जाता है तो अपीलांट का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को प्रोटेक्ट किया जाना अनिवार्य था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन स्पीकिंग आदेश से अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गंभीर अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 431/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2022 को निरस्त किया उनके समक्ष वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं उक्त आराजी को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने हेतु पाबंद किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। अतः हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किए गए निर्णय से उन्हें को आपत्ति नहीं है।

7. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश की उन्हें पूर्व में जानकारी नहीं थी जब इस बाबत उसके द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि फैसला हो चुका है। इस पर उसने दिनांक 1.7.2022 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 11.7.2022 को निर्णय की प्रति प्राप्त हुई दिनांक 16.7.2022 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई सदभाविक देरी को क्षमा किया जाए। अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.3.2022 का है और अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 19.7.2022 को अपील प्रस्तुत की है चूंकि प्रार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

8. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त है, अपील विचाराधीन रहते हुए यदि रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र हस्तानांतरण, रहन, बय, मुंतकिल कर देगी तो अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट का मकसद ही समाप्त हो जाएगा इस वजह से उसे अपूर्णीय क्षति होगी साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपने पक्ष में बताया व अंत में निवेदन किया कि अपील निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

9. बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 3 व 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 1

25.7.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमियों में गोगा पुत्र देवीलाल बैरवा का 1/3 हिस्सा बनता है। गोगा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत पत्नी हीरा के नाम खोली गई। पारिवारिक समझौता अपीलांट के नाम है। उक्त लिखावट दिनांक 9.7.2012 की है एवं हीरा की सहमति से लिखी गई है। दिनांक 18.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश दिया था। प्रकरण तामिल हेतु पेडिंग था। दिनांक 18.3.2022 को हमारी टीआई खारिज कर दी गई। मानी देवी 1/3 हिस्से में सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र विचाराधीन है।

10. राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि हीरा ने मानी देवी को भूमि विक्रय कर दी गई है। अब मानी देवी रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट ने स्वयं को जयराम का पुत्र बताया है। हीरा ने जब भूमि बेच दी तो अब इकरारनामा का क्या औचित्य है।

11. बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावलिग्रों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया व बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। इकरारनामा दिनांक 9.7.2012 रजिस्टर्ड नहीं है इसके आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का हक व अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं कर सकता है। उक्त इकरारनामा अनरजिस्टर्ड है और रेस्पोडेंट संख्या 2 हीरा देवी पत्नि गोगा को प्रथम पक्ष के रूप में अंकित किया है तथा द्वितीय पक्ष में बजरंग पुत्र जयराम एवं महावीर पुत्र हुकमा को अंकित किया हुआ है तथा इसमें बजरंग व महावीर को कमशः देवर व जेठ का पुत्र बताया है, तथा यह लिखा है। **जबतक प्रथम पक्ष जीवित रहूंगी मेरे हिस्से की आराजी व मकान को किसी अन्य को हस्तानांतरिम अथवा अंतरित नहीं करूंगी व मेरी मृत्यु उपरांत ही मेरे 1/3 हिस्से पर द्वितीय पक्ष स्वतः ही काबिज माना जाएगा।** उक्त इकरारनामें में सम्पत्ति खसरा नम्बर का विवरण अंकित नहीं है। एवं जमाबंदी ग्राम देवलियाखुर्द जमाबंदी सम्वत 2072–2075 तहसील केकडी खाता संख्या नया 534, 531,530,532,533 के अनुसार विवादित खातों की भूमियों में हीरा पत्नि गोगा के नाम अब दर्ज नहीं है। संभवतः हीरा पत्नि गोगा द्वारा भूमियों में अपना हिस्सा किसी अन्य को विक्रय कर दिया, क्योंकि इस समय हीरा पत्नि गोगा खातेदार के रूप में दर्ज ही नहीं है। अपीलांट पक्ष द्वारा मानी देवी को किस आधार पर रेस्पोडेंट पक्ष बनाया गया है? स्पष्ट है कि अपीलांट स्वच्छ हाथों से पेश नहीं हुआ है व न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाया गया है। अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, क्योंकि विवादित खातों में हीरा पत्नि गोगा का नाम दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में इकरारनामे का कोई महत्व नहीं है। अपीलांट द्वारा अपना प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं किया गया ना ही उसे कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ना ही उसे कोई विशद अनिष्ट होने की संभावना है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

12. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 431/2021 बजनवानी बजरंग बनाम मानी देवी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.03.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

25.1.24

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।